

मुकदमों का विवरण

मेसर्स इस्तार एक्का फ़ार्म्स बनाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सिविल अपील सं। 2013 का 1077) अगस्त 08,2023

[ए. एस. बोपन्ना और संजय कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:अपीलार्थी, जिसने झींगे की खेती की थी, ने एक झींगे बीमा पॉलिसी के तहत प्रत्यर्थी से बीमा कवरेज प्राप्त किया था। 'व्हाइट स्पॉट डिजीज' नामक एक जीवाणु रोग के प्रमुख प्रकोप के कारण अपीलार्थी के खेत में झींगे की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बीमा दावे को प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन. सी. डी. आर. सी.) के समक्ष चुनौती दी गई थी; और, इस न्यायालय के समक्ष मुकदमे के इस दूसरे दौर में, आगे का मुद्दा यह था कि क्या एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा दावा राशि और ब्याज की मात्रा न्यायसंगत और न्यायसंगत थी।

बीमा-उबेरिम फाइ देस की आवश्यकता:

आयोजित किया गया:उबररिमा फाइ देस, अर्थात्, सद्भावना, बीमा अनुबंध में आवश्यकता है- यह दायित्व और कर्तव्य दोनों पक्षों पर न केवल बीमा अनुबंध की शुरुआत में, बल्कि इसके अस्तित्व के दौरान और उसके बाद भी निर्भर करेगा-तथ्यों पर, दूसरी सर्वेक्षणकर्ता रिपोर्ट दिनांक 22.09.1995 के बावजूद अपीलार्थी के नुकसान की मात्रा 17,64,097 पर निर्धारित करने के बावजूद, प्रत्यर्थी बीमा कंपनी ने अपीलार्थी के दावे को पूरी तरह से अस्वीकार करने का फैसला किया, पूरी तरह से निराधार दावे के आधार पर कि अपीलार्थी उचित रिकॉर्ड बनाए रखने और प्रदान करने में विफल रहा था-यह अपने पहले के सर्वेक्षणकर्ताओं, एम/एस फ्रैंक और निष्पक्ष जांचकर्ताओं के स्पष्ट निर्णय के बावजूद भी था कि कुल नुकसान पर्याप्त था।

मेसर्स इस्तार एक्का फ़ार्म्स बनाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. [संजय कुमार, जे.] 78

विशाखापट्टनम में-किसी बीमा कंपनी के लिए यह खुला नहीं है कि वह किसी प्रमाण पत्र या दस्तावेज को नजरअंदाज करे या उस पर कार्रवाई करने में विफल रहे जिसकी उसने खुद

स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारियों से मांग की थी, केवल अपवादों के अधीन, केवल इसलिए कि वह इसके खिलाफ है या इसके नुकसान के लिए-किसी बीमित व्यक्ति को विशिष्ट परिस्थितियों में संभावित नुकसान के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने का बीड़ा उठाने के बाद, एक बीमा कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने वादे को उचित तरीके से पूरा करेगी और न कि केवल अपने स्वयं के मुनाफे की देखभाल करेगी और उसे पूरा करेगी।[पैरा 12 और 13]

बीमा-स्वीकार्य हानि की गणना-कार्यप्रणाली:

आयोजित किया गया:तथ्यों पर, बीमा पॉलिसी ने स्वयं स्वीकार्य नुकसान की गणना की विधि प्रदान की-स्वीकार्य नुकसान की गणना करने के तीन तरीके थे (निवेश लागत विधि; इकाई लागत विधि और पाक्षिक मूल्यांकन विधि)-एन. सी. डी. आर. सी. ने अपीलार्थी के कुल नुकसान का आकलन 30,69,486.80 के रूप में किया था और प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज दिया था। ` 75,98,361/- (इनपुट लागत विधि के अनुसार); '75,87,750-(इकाई लागत विधि के अनुसार); और' 79,20,000-(पखवाड़े के मूल्यांकन विधि के अनुसार)-अपीलार्थी द्वारा की गई गणनाएँ सटीक हैं-अपीलार्थी वन आधारित तीन मूल्यांकनों में से सबसे कम के लिए हकदार होगा, अर्थात्, ` 75,87,750/- - इसके अलावा, अपीलार्थी के दावे का निष्पक्ष रूप से और समय पर निपटान करने में बीमा कंपनी की ओर से देरी यह सुनिश्चित करती है कि वह अपीलार्थी को देय और देय राशि पर ब्याज का भुगतान करती है-एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा निर्धारित ब्याज दर, अर्थात् 10 प्रतिशत न्यायसंगत और न्यायसंगत है।[पैरा 7,8 और 14]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम चंदमुल जैन और अन्य

एआईआर 1966 एससी 1644:[1966] एस. सी. आर. 500-अनुसरण किया गया।

जैकब पुनेन और एक अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2022) 3 एससीसी 655; मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमिटेड बनाम ओरिएंटल इश्योरेंस

कंपनी लिमिटेड (2000) 2 एससीसी 734:[2000] 1 एससीआर 1076-पर निर्भर था।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:सिविल अपील सं. 1077

2013.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली के 1996 की मूल याचिका संख्या 55 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

श्रीधर पोटाराजू, के. पी. सुंदर राव, आयुष, रजत श्रीवास्तव, सुमित पंवार, सी. के. राय, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

प्रमित सक्सेना, ए. के. डे, ज़ाहिद अली खान, सुश्री अनन्या डे, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

संजय कुमार, जे।

1. इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी का दूसरा दौर होने के कारण, इस अपील में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे एक संकीर्ण दायरे में आते हैं। 2. वर्ष 1994 के दौरान, अपीलार्थी ने पूर्ववर्ती विशाखापत्तनम जिले के एस. रायवरम मंडल के वाकापाडु गाँव में 68 एकड़ के जल-प्रसार क्षेत्र के साथ 100 एकड़ के दायरे में झींगे की खेती की। इसने प्रत्यर्थी बीमा कंपनी से अपने संचालन में सभी 37 तालाबों के संबंध में 7-10.09.1994 से पांच महीने की अवधि के लिए बीमा कवरेज प्राप्त किया, जिसमें '1,20,00,000/- के अधिकतम बीमित मूल्य के लिए 22,67,000 झींगे शामिल थे। अपीलार्थी ने 12,240/- के बिक्री कर के साथ कुल 'आईडी2' प्रीमियम का भुगतान किया और प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा 'आईडी1' पर 'ब्रैकिश वाटर प्रॉन इंश्योरेंस पॉलिसी' जारी की गई। बीमा के समय, झींगे के लार्वा को पी. एल. 20 चरण में बताया गया था और तालाबों में उनके भंडारण की तारीख 7-10.09.1994 थी। बीमा पॉलिसी ने संकेत दिया कि वजन के संदर्भ में 22,67,000 झींगे के लार्वा के लिए अपेक्षित उपज 80.400 किलोग्राम थी। और झींगे के औसत शरीर का वजन, पूर्ण आकार पर, प्रत्येक 11 ग्राम से 33.5 ग्राम तक था। कटाई की अपेक्षित तिथियाँ 07.02.1995 से 11.02.1995 तक थीं। पॉलिसी में प्रावधान किया गया था कि बीमा अवधि को पखवाड़ों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक कैलेंडर महीने को दो पखवाड़ों के रूप में माना जाना था, चाहे महीने में दिनों की संख्या कुछ भी हो। नीति में आगे यह निर्धारित किया गया कि इसके तहत आने वाले किसी भी खतरे के कारण होने वाले नुकसान को कुल नुकसान के रूप में माना जाएगा यदि किसी विशेष चरण में नुकसान का प्रतिशत 79 के बराबर या उससे अधिक था।

मेसर्स इस्त्रार एक्वा फ़ार्म्स बनाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. [संजय कुमार, जे.] 80.

80% तालाब में झींगे की कुल आबादी और नीति के तहत कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा यदि किसी भी कवर किए गए खतरों के कारण तालाब में नुकसान का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम था। पॉलिसी के साथ एक अलग तालिका जोड़ी गई थी, जो बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई दस पखवाड़ों के दौरान बीमित राशि के प्रतिशत के संदर्भ में अधिकतम देयता को दर्शाती है।

3. जबकि, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर 'व्हाइट स्पॉट डिजीज' नामक एक जीवाणु रोग का एक बड़ा प्रकोप हुआ, जिसके कारण अपीलार्थी के खेत सहित क्षेत्र में झींगे की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो गई। इसके कारण अपीलार्थी द्वारा बीमा पॉलिसी का आह्वान किया गया। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा उसके तहत दावा प्रस्तुत करने पर और उसके अपने कहने पर दो अलग-अलग सर्वेक्षण किए जाने के बाद, प्रत्यर्थी बीमा कंपनी ने 15.07.1997 दिनांकित पत्र के तहत अपीलार्थी के दावे को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। बीमा कंपनी के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि रिकॉर्ड ठीक से और सटीक रूप से बनाए नहीं रखे गए थे; सर्वेक्षण के समय रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे; और जो भी रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए थे वे अप्रमाणित थे।

4. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के समक्ष 1996 की मूल याचिका संख्या 55 [संक्षिप्तता के लिए, 'एन. सी. डी. आर. सी.'] की स्थापना की। अपीलार्थी ने '75,98,362' की राशि के लिए अनुरोध किया-उस पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और '10,00,000-' के मुआवजे के साथ। दिनांक 29.04.2004 के सामान्य आदेश द्वारा, एन. सी. डी. आर. सी. ने 1996 की अपीलार्थी की मूल याचिका संख्या 55 के साथ-साथ 1996 की मूल याचिका संख्या 54 का निपटारा किया, जिसका नेतृत्व प्रत्यर्थी बीमा कंपनी के खिलाफ विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के एक समान स्थित झींगा किसान श्री वी. वी. रामा राजू ने किया था। एन. सी. डी. आर. सी. ने उसमें एक स्पष्ट निर्णय दर्ज किया कि प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा अपीलार्थी के दावे का खंडन अन्यायपूर्ण था। यह नोट किया गया कि बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 25.11.1994 पर अपीलार्थी के तालाबों के गहन निरीक्षण के बाद बीमा कवरेज प्रदान किया गया था, जो सभी मामलों में पूरी तरह से संतुष्ट थे, और उसके बाद ही, प्रीमियम के भुगतान पर पॉलिसी जारी की गई थी। इसलिए एन. सी. डी. आर. सी. ने राय दी कि बीमा कंपनी की ओर से यह आरोप लगाना पूरी तरह से अनुचित था कि अपीलार्थी 2-3.12.1994 पर उचित रिकॉर्ड नहीं रख रहा था। दो सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया था और उनमें से एक द्वारा सुझाए गए बचाव मूल्य को स्वीकार करते हुए, एन. सी. डी. आर. सी. ने माना कि अपीलकर्ता ब्याज के साथ '17,64,097' के योग का हकदार था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

उस पर 01.07.1995 से प्राप्ति तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से। एक अन्य झींगा किसान श्री वी. वी. रामा राजू के नेतृत्व में 1996 की मूल याचिका संख्या 54 का भी इसी तर्ज पर निपटारा किया गया, जिसमें उन्हें 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 'आई. डी. 1' की राशि प्रदान की गई।

5. एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित सामान्य आदेश से असंतुष्ट, दावेदार और बीमा कंपनी दोनों ने अपीलों के एक समूह के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।, सिविल अपील सं. 2004 की संख्या 5294,7091,8051 और 4182। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करते हुए कहा कि एन. सी. डी. आर. सी. ने दावेदारों को दिए जाने वाले ब्याज सहित मुआवजे की ठीक से गणना नहीं की थी। तदनुसार मामले को उस संबंध में त्वरित निर्णय के लिए एन. सी. डी. आर. सी. को भेज दिया गया।

6. यह इस रिमांड आदेश के बल पर है कि एन. सी. डी. आर. सी. ने फिर से दावेदारों को भुगतान की जाने वाली राशि और उन्हें दिए जाने वाले ब्याज की मात्रा निर्धारित करने का अभ्यास किया, जिससे अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में आदेश दिया गया। जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, एन. सी. डी. आर. सी. ने बीमा कंपनी द्वारा मैसर्स फ्रैंक एंड फेयर इन्वेस्टिगेटर, राजमुंदरी से प्राप्त दिनांक 01.09.1995 की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि यह बीमारी के कारण गंभीर नुकसान का मामला था। एन. सी. डी. आर. सी. ने मत्स्य पालन, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम के क्षेत्रीय उप निदेशक और मत्स्य पालन शाखा, विशाखापत्तनम के निरीक्षक द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी ध्यान दिया, जिसने प्रमाणित किया कि मृत झींगे का कुल वजन 50,585 किलोग्राम था।; कि मृत झींगे के शरीर का औसत वजन 17.78 ग्राम था; और मृत्यु के समय झींगे का कुल मूल्य, खर्च किए गए खर्चों के संदर्भ में, '94,97,952-था। झींगे की मृत्यु का कारण इस प्रमाण पत्र में 'व्हाइट स्पॉट डिजीज' के रूप में दर्ज किया गया था। ए. आर. राव, पी. एस. रामनाथन और बी. नागेश्वर राव की टीम से बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त दूसरी आईडी 1 सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में, एन. सी. डी. आर. सी. ने नोट किया कि उसमें किए गए कई निष्कर्ष/टिप्पणियां मूल्य निर्णयों/अनुमानों की प्रकृति में थीं, जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य या यहां तक कि रिपोर्ट की सामग्री से भी समर्थित नहीं थीं। अपीलार्थी सहित सभी या किसी भी किसान द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के इन सर्वेक्षणकर्ताओं के अवलोकन को एन. सी. डी. आर. सी. ने 'व्यापक' टिप्पणी के रूप में खारिज कर दिया। ऐसा कहने के बाद, एन. सी. डी. आर. सी. ने आश्चर्यजनक रूप से इन सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा प्रत्येक झींगे के औसत शरीर के वजन का अनुमान 9.086 ग्राम और उसके आधार पर कुल नुकसान के उनके मूल्यांकन को 81 के रूप में स्वीकार किया।

मेसर्स इस्त्रार एक्वा फार्म्स बनाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. [संजय कुमार, जे.] 82.

30,69, 486.80.हालाँकि एन. सी. डी. आर. सी. ने इन सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित इस राशि से कटौती को अस्वीकार कर दिया और अपीलार्थी के कुल नुकसान का आकलन 30,69,486.80 के रूप में किया।शिकायत की तारीख से उस पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज दिया गया था।राशि की मात्रा और उस पर दिए गए ब्याज से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी फिर से इस न्यायालय के समक्ष है।7. विशेष रूप से, बीमा पॉलिसी ने स्वयं स्वीकार्य नुकसान की गणना की विधि प्रदान की।इसमें इस प्रकार कहा गया है:

“हानि की स्थिति में, सभी हानि समायोजन घोषित मूल्य/इकाई लागत के आधार पर या निवेश लागत (उत्पादन लागत) के आधार पर किया जाएगा, जो भी कम हो।

हानि के स्वीकार्य होने के लिए सहमत मृत्यु दर हानि के पूर्ववर्ती तिथि पर अवशिष्ट भंडार पर होगी।अवशिष्ट मात्रा मूल्यांकन तालिका के अनुसार लागू पखवाड़े के लिए संचयी मृत्यु दर प्रतिशत के अनुसार या तालाब रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविक, जो भी कम हो।”

8. इसलिए, स्वीकार्य नुकसान की गणना करने के तीन तरीके हैं:- (i) निवेश लागत विधि:80% हानि की तिथि पर निवेश के मूल्य का।

((ii) इकाई लागत विधि:वास्तविक उत्तरजीविता संख्या की गणना हानि के पूर्ववर्ती तिथि पर की जाती है।प्रचलित औसत शरीर के वजन को उस संख्या पर लागू किया जाता है और फिर 150 प्रति किलोग्राम की इकाई लागत से गुणा किया जाता है।

((iii) पाक्षिक मूल्यांकन विधि:चूँकि फसल की अवधि दस पखवाड़े तक थी, पहले पखवाड़े में स्वीकार्य अधिकतम दावा बीमित राशि का 25 प्रतिशत है और पूरे पखवाड़े में आनुपातिक रूप से बढ़ता है।

9. उपरोक्त तीन गणना विधियों के बल पर गणना किए गए मूल्यों में स्वीकार्य हानि सबसे कम है।अपीलार्थी द्वारा हानि के निम्नलिखित मूल्य निर्धारित किए गए थे:निवेश लागत विधि-'75,98,361-; इकाई लागत विधि-' 75,87,750-; और पाक्षिक मूल्यांकन विधि-'79,20,000-।हालाँकि, प्रत्यर्थी बीमा कंपनी इसका विरोध करती है।इस प्रकार, मुद्दा मुख्य रूप से अपीलार्थी को देय बीमा राशि की मात्रा निर्धारित करने पर निर्भर करता है, जिसमें तीन पद्धतियों को शामिल किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

10. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एन. सी. डी. आर. सी. ने आधारहीन मूल्य निर्णयों और अनुमानों के रूप में की गई कई टिप्पणियों को खारिज करने के बावजूद, तीन सर्वेक्षणकर्ताओं की दिनांकित रिपोर्ट के एक हिस्से पर भरोसा करना उचित नहीं माना।ऐसी स्थिति में, उन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रत्येक झींगे के औसत शरीर के वजन

पर भी समान रूप से संदेह था। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि मेसर्स फ्रैंक एंड फेयर इन्वेस्टिगेटर की पहले की रिपोर्ट में मृत झींगे/बचाए गए झींगे के शरीर का औसत वजन 10 ग्राम से 12 ग्राम के बीच होने का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया है कि मरीन लिविंग रिसोर्सेज विभाग के प्रोफेसर शेपैया ने 02.12.1994 पर अपीलार्थी के झींगे के खेत का दौरा किया था और देखा था कि जब 6 से 8 तालाबों में कास्ट नेट खींचे गए थे, तो बचाए गए झींगे/मृत झींगे प्रत्येक का वजन 12 ग्राम से अधिक नहीं था। इसी तरह, सीएमईआरआई के वैज्ञानिक डॉ. जी. सुधाकर राव ने कहा था कि मृत झींगे का औसत वजन 10 ग्राम से अधिक नहीं था। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि झींगे के औसत शरीर का वजन मृत्यु के बाद काफी कम हो जाएगा। इसलिए, यदि पहले की सर्वेक्षण रिपोर्ट में मृत झींगे के शरीर का औसत वजन 10 ग्राम से 12 ग्राम के बीच रखा गया होता, तो जीवित रहते हुए उनका वजन कहीं अधिक होता। यह अनुमान मत्स्य पालन निदेशालय, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.05.1995 द्वारा पुष्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मृत्यु/हानि के समय प्रत्येक झींगे का औसत वजन 17.78 ग्राम होगा। यह सटीक उपाय अधिक तार्किक और स्वीकार्य है, क्योंकि बीमा पॉलिसी में उपज के समय झींगे के औसत शरीर का वजन 33 ग्राम तक जाने की परिकल्पना की गई थी, जो घातक बीमारी के प्रकोप के ठीक दो महीने बाद था। 11. प्रत्यर्थी बीमा कंपनी वन मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांकित 01.05.1995 से अपने हाथ धोना चाहती है और इसे पूरी तरह से खारिज करना चाहती है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष अपने लिखित बयान में, बीमा कंपनी ने स्वयं कहा था कि यह दावेदार/बीमित व्यक्ति का कर्तव्य था कि वह समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम. पी. ई. डी. ए.), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य मत्स्य विभाग से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करे। बीमा कंपनी द्वारा अपीलार्थी को संबोधित अपने दिनांक 1 दिनांकित पत्र का संदर्भ दिया गया था, जिसमें उसने बताया था कि दावा प्रपत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर या तो एम. पी. ई. डी. ए. अधिकारियों द्वारा या राज्य मत्स्य विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और अपीलार्थी से किसी भी अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने और आगे की कार्रवाई के लिए कंपनी को प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया था। 83 में

मेसर्स इस्त्रार एक्वा फ़ार्म्स बनाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. [संजय कुमार, जे.] 84

बीमा कंपनी के अपने निर्देश और इनमें से किसी भी स्वतंत्र निकाय से मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े मूल्य और महत्व की इसकी मौन मान्यता के आलोक में, मत्स्य पालन निदेशालय, विशाखापत्तनम के अधिकारियों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.05.1995 को खारिज करने के लिए खुला नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बीमा पॉलिसी के खंड 10 के तहत, दावा प्रक्रिया के लिए बीमित व्यक्ति/दावेदार को विवरण के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के

साथ पूरी तरह से पूरा किया गया दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसे मत्स्य पालन निदेशालय/एम. पी. ई. डी. ए. के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

12. यह ध्यान दिया जाए कि जनरल एस्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम चंदुमुल जैन और एक अन्य [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1644] में एक संविधान पीठ

बीमित व्यक्ति के संदर्भ में यह देखा गया था कि बीमा के अनुबंध में उबेरिम फाइ देस यानी सद्भावना की आवश्यकता होती है।हाल ही में, जैकब में

पुनेन और एक अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **[(2022)**

3 एस. सी. सी. 655], इस न्यायालय ने पहले दिए गए आदेश को दोहराया

मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमिटेड बनाम ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

[(2000) 2 एस. सी. सी. 734], कि यह बीमा कानून का मौलिक सिद्धांत है कि अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा अत्यधिक सद्भावना का पालन किया जाना चाहिए; कि सद्भावना किसी भी पक्ष को उन तथ्यों का खुलासा न करने से रोकती है जिन्हें पक्ष जानता है; और यह कि बीमित व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह खुलासा करे और इसी तरह बीमा कंपनी का कर्तव्य है कि वह अपने ज्ञान के भीतर सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करे क्योंकि सद्भावना का दायित्व दोनों पर समान रूप से लागू होता है।यह दायित्व और कर्तव्य न केवल बीमा अनुबंध की शुरुआत में बल्कि इसके अस्तित्व के दौरान और उसके बाद भी दोनों पक्षों पर निर्भर करेगा।

13. वर्तमान में इस मानक को लागू करते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि दूसरी सर्वेक्षणकर्ता रिपोर्ट दिनांक 22.09.1995 में अपीलार्थी के नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के बावजूद, प्रत्यर्थी बीमा कंपनी ने पूरी तरह से निराधार दावे के आधार पर अपीलार्थी के दावे को पूरी तरह से अस्वीकार करने का फैसला किया कि अपीलार्थी उचित रिकॉर्ड बनाए रखने और प्रदान करने में विफल रहा था।यह इसके पहले के सर्वेक्षणकर्ताओं, मैसर्स फ्रैंक और निष्पक्ष जांचकर्ताओं के स्पष्ट निर्णय के बावजूद भी था कि कुल नुकसान अपीलार्थी द्वारा वहन किया गया था।इसके अलावा, अपनी पॉलिसी और अपनी निर्धारित दावा प्रक्रिया में एम. पी. ई. डी. ए./राज्य मत्स्य पालन विभाग द्वारा दिए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को बहुत महत्व देते हुए, बीमा कंपनी ने विशाखापत्तनम में राज्य मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.05.1995 को टाल दिया।केवल इसलिए कि इसकी सामग्री उसे पसंद नहीं थी,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

बीमा कंपनी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी और इसे तहस-नहस कर सकती थी।इसके अलावा, इस तरह का प्रमाणन महत्वपूर्ण कद के निष्पक्ष और स्वतंत्र निकायों द्वारा किया जा

रहा था और शायद यही कारण था कि बीमा कंपनी ने अपने मानदंडों में इसे इतना महत्व दिया था। किसी भी स्थिति में, किसी बीमा कंपनी के लिए यह खुला नहीं है कि वह किसी प्रमाण पत्र या दस्तावेज को नजरअंदाज करे या उस पर कार्रवाई करने में विफल रहे, जिसे उसने स्वयं स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारियों से मांगा था, केवल अपवादों के अधीन, केवल इसलिए कि वह इसके खिलाफ है या इसके नुकसान के लिए है। विशिष्ट स्थितियों में संभावित नुकसान के खिलाफ बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने का कार्य करने के बाद, एक बीमा कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने वादे को सही और निष्पक्ष तरीके से पूरा करेगी, न कि केवल अपने स्वयं के मुनाफे का ध्यान रखेगी और उसे पूरा करेगी। प्रभावी रूप से, मत्स्य पालन निदेशालय, विशाखापत्तनम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.05.1995 पर कार्रवाई करने से इनकार करने में बीमा कंपनी की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

14. अपीलार्थी द्वारा की गई गणनाएँ और चुनौती के तहत आदेश के पैराग्राफ 21 में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा दर्ज की गई गणनाएँ, अर्थात् '75,98,361-(इनपुट लागत विधि के अनुसार) और' 75,87,750-(इकाई लागत विधि के अनुसार) दिनांक 01.05.1995 के मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लिखित प्रमाणों के संदर्भ में सटीक पाई जाती हैं। पाक्षिक मूल्यांकन विधि के अनुसार, नुकसान '79,20,000-तक जाएगा। मान लीजिए, अपीलार्थी वन आधारित तीन मूल्यांकनों में से सबसे कम के हकदार होंगे, अर्थात्, ' 75,87,750/-। चूंकि प्रत्यर्थी कंपनी पहले ही अपीलार्थी को विवादित आदेश में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान कर चुकी होगी, ' 30,69, 486.80, अपीलार्थी 45,18,263.20 की शेष राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। अपीलार्थी के दावे का निष्पक्ष रूप से और समय पर निपटान करने में बीमा कंपनी की ओर से देरी इस बात की गारंटी देती है कि वह इस आदेश के संदर्भ में अपीलार्थी को देय और देय राशि पर ब्याज का भुगतान करती है। 15. हालाँकि अपीलार्थी का दावा है कि वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक जमा ब्याज दरें 12 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच थीं, लेकिन हम भारतीय रिजर्व बैंक के बयान से इस संबंध में भरोसा करते हैं कि वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर 11 प्रतिशत थी और वर्ष के लिए यह 11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच थी। ऐसा होने पर, एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा निर्धारित ब्याज दर, अर्थात् 10 प्रतिशत को न्यायसंगत और न्यायसंगत माना जाता है।

16. 45, 18, 263.20 की राशि प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा आज से छह सप्ताह के भीतर, शिकायत की तारीख से वसूली की तारीख तक 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के साथ अपीलार्थी को प्रेषित की जाएगी।

85

मेसर्स इस्त्रार एक्का फ़ार्म्स बनाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. [संजय कुमार, जे.] अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील का निपटारा किया गया।

विभूति भूषण बोस